प्रकरण संख्या 43/2016 अनवान अनमान
अवतार सिंह बनाम मनदीप सिंह आदि
निर्णय दिनांक 26.08.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 43/2016
सीसीएमएस : 2016/00657

1. अवतार सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

– वादी

बनाम

1. मनदीप सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 4 रायसिंहनगर।
2. राजवीर सिंह पुत्र श्री छिन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख साकिन 24 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
3. जसविन्द्र कौर उर्फ छोटों कौर पत्नी गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन पिण्ड फरीदके तह. बुडलाडा जिला मानसा (पंजाब)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए–188–91 आर.टी.एक्ट

तारीख रजू 30.03.2016

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री प्रीतमसिंह गिल अधिवक्ता वादी।
2. श्री मदन लाल बंसल अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: निर्णय :– दिनांक : 26.08.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी की तहसील रायसिंहनगर के चक दुलरासर बारानी की जमांबदी संवत 2068–71 के खाता सं. 189/163 पं.नं. 270/315 के मु.नं. 57 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक 0.228 है., 6 ता 25 सालम कुल 6.200 है. एवं प. नं. 271/315 के मु.नं. 58 की 6.325 है. कुल 12.525 है. बारानी भूमि, जमाबंदी के कालम संख्या 4 में जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। तत्पश्चात इसी जमाबंदी के कालम संख्या 11 ता 12 में उक्त भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 657 दिनांक 17.04.2015 को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई है। तत्पश्चात जंगसिंह की वसीयत के आधार पर इन्तकाल संख्या 659 दिनांक 22.05.2015 द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादीयां सं. 3 के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात प्रतिवादीया सं. 3 के बैयनामों के आधार पर मु.नं. 57 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम तथा मु.नं. 58 प्रतिवादी सं. 2 के नाम इन्तकाल नं. 662 दिनांक 16.06.2015 दर्ज हुआ। वादगत भूमि वर्ष 1971 में जब जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह को आवंटित हुई थी उस समय उक्त भूमि अलाटमेट कराने में वादी के दादा भगवानसिंह पुत्र श्री बिशन सिंह द्वारा पूरा सहयोग किया गया था। वर्ष 1971 में जंगासिंह उक्त भूमि अलाट कराने के अरसा 6 माह पश्चात ही गांव 39 पीएस छोड़कर अपने परिवार सहित गांव लाधुवास जिला फतेहबाद हरियाणा में आबाद हो गया। उसके पश्चात उसने गांव 39 पीएस में कभी रिहायश नहीं की। श्री जंगासिंह द्वारा वादगत भूमि मु.नं. 57 व 58 को वर्ष 1972 में एलानिया व आवारा छोड़कर चले जाने के बाद उसी वर्ष वादी के दादा श्री भगवान सिंह एवं पिता हरीसिंह व वादी द्वारा वादगत भूमि पर कब्जा कर लिया तथा भूमि को काश्त करने लगे। उस समय उक्त भूमि ऊंचे रेतीला टिब्बा वाली व अनउपजाऊ थी जिसे दादा श्री भगवानसिंह ... परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग के साथ भूमि को समतल ... करना शुरू कर दिया। ... भगवानसिंह ने अपने जीवनकाल ... पारिवारिक विभाजन किया जिसमें मु.नं. 57 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक ... व कि.नं. 1–2–9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक सालम तथा मु.नं. ... कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक निस्फ ... 4 ता 7, 14 ता 17–24–25 प्रत्येक सालम कुल भूमि ... 25 बीघा वादी ने प्राप्त की ... तथा मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

नं. 57 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक निस्फ व चिपते कि.नं. 4 ता 7–14 ता 17–24–25 प्रत्येक सालम कुल 12.10 बीघा चाचा कृपालसिंह ने एवं मु.नं. 58 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक निस्फ, कि.नं. 1–2–9 ता 12–19–22 प्रत्येक सालम कुल 12. 10 बीघा ताया अजायबसिंह ने ली। तब से लेकर वादगत 25 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त बनी हुई है। इस प्रकार वादगत भूमि में मु.नं. 57 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक निस्फ व कि.नं. 1–2–9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक सालम तथा मु.नं. 58 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक निस्फ व कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24–25 प्रत्येक सालम कुल भूमि 25 बीघा भूमि पर वर्ष 1972 से लेकर आज तक मुझ वादी का पूर्व में अपने दादा व पिताजी के साथ और दादा व पिता की मृत्यु के पश्चात से मुझ वादी का आज तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। जो किसी द्वारा आज तक बाधित नहीं किया गया है वादी द्वारा वादगत भूमि की किस्त राशि भी अदा की हुई है। वादी वादगत भूमि पर लगातार कब्जे के आधार पर/ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हकूक प्राप्त करने का अधिकारी हैं वर्ष 1972 से वादी के लगातार कब्जे के पश्चात वर्ष 1995 में प्रतिवादीया सं. 3 ने आकर भूमि पर कब्जा मांगा तो वादी ने अपने पिता की मौजूदगी में प्रतिवादीया सं. 3 को यह कहकर कब्जा लौटाने से साफ इन्कार कर दिया कि वादी द्वारा उक्त भूमि जो टिब्बेनुमा व अनउपजाउ थी उसे वादी ने अथक शारीरिक परिश्रम करके और रूपया खर्चा करके इस उपजाउ योग्य बनाया है भूमि में भारी सुधार किया है और प्रतिवादिया सं. 3 को कब्जा नहीं लौटाया तब से वादगत भूमि पर वादी का होस्टाईल प्रतिकूल कब्जा स्थापित हो चुका है आज से अरसा 8 माह पूर्व जब वादी अपने खेत में कार्य कर रहा तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने आकर वादी को धमकी दी कि वादगत भूमि जो श्री जंगसिंह के नाम थी उसे हमने प्रतिवादिया सं. 3 के नाम इन्तकाल चढ़वाकर उक्त भूमि प्रतिवादीया सं. 3 से प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने खरीद कर ली है अब वह वादगत भूमि से वादी को जबरदस्ती बेदखल करके कब्जा करके रहेगे। आगामी फसल से पूर्व ही तुम्हे बेदखल कर कब्जा कर लेगे। जो यही वाद कारण है। इस पर वादी ने रिकार्ड की नकले हासिल की तो मालूम पडा कि प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि हड़पने की नियत से मृतक श्री जंगसिंह के नाम प्रतिवादिया सं. 3 के पक्ष में दिनांक 17.04.1980 की तिथि में षडयंत्रपूर्वक कूटरचित वसीयत रची है और इस कूटरचित वसीयत के आधार पर 35 वर्ष पश्चात प्रतिवादिया सं. 3 के नाम भूमि का इन्तकाल नं. 659 दिनांक 22.05.2015 को दर्ज कराया है और प्रतिवादिया सं. 3 के द्वारा बिलाधिकार दिनांक 08.06.2015 को मु.नं. 57 का बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में व मु.नं. 58 की भूमि का बैयनामा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में साजिश पूर्ण तरीके से किया है और इस बिलाधिकार बैयनामा की आड में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से इन्तकाल सं. 662 दिनांक 16.06.2015 को दर्ज कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा कूटरचित वसीयत के आधार पर तमाम कार्यवाही विधि विरूद्व एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर की गई है उक्त दस्तावेजों को अपने हितों पर अप्रभावी घोषित कराकर वादी वादगत भूमि में अपने कब्जे की मु.नं. 57 व 58 की 25 बीघा भूमि का निम्न आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। (1) वादगत भूमि में मु.नं. 57 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक निस्फ व कि.नं. 1–2–9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक सालम तथा मु.नं. 58 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक निस्फ व कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24–25 प्रत्येक सालम कुल भूमि 25 बीघा भूमि पर वर्ष 1972 से लेकर आज तक शान्ति पूर्वक निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और इस कब्जा के आधार के आधार पर वादी उक्त भूमि का हकदार, खातेदार मालिक हो चुका है, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने साजिशानापूर्ण तरीके से कूटरचित एवं बिलाधिकार कागजात तैयार करके जो भूमि को अपने नाम दर्ज करवाया है वह वादी के हितों पर अप्रभावी है। वादगत भूमि में जंगासिंह का तमाम अधिका[illegible] हो चुका था। जंगसिंह द्वारा प्रतिवादिया सं. 3 के पक्ष में कोई वसीयत [illegible] जंगसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि को हड़पने की [illegible] में जंगसिंह के नाम से पीछे की तारीख में कूटरचित व[illegible] दिनांक 17.04.1980 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

लिखा गया है जबकि वसीयत के आधार पर इन्तकाल 35 वर्षों पश्चात दिनांक 22.05.2015 को कराया गया है। जंगसिंह की मृत्यु दिनांक 07.12.1981 को हुई है यदि जंगसिंह द्वारा वर्ष 1980 में वसीयत की होती तो मृत्यु होते ही वसीयत के आधार पर इन्तकाल की कार्यवाही की जाती। इससे भी साबित है कि जंगसिंह द्वारा कोई वसीयत नही की गई है। वादगत भूमि तहसील रायसिंहनगर के क्षेत्र चक दुलरासर बारानी की है। जबकि वसीयत श्रीगंगानगर के नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित कराई गई है वसीयत लेखक, वसीकानवीस के कोई हस्ताक्षर मोहर नहीं है यदि जंगसिंह वसीयत करता तो सब रजिस्ट्रार रायसिंहनगर के रूबरू उपस्थित होकर वसीयत कराई जाती। क्योंकि वसीयत को रजिस्टर्ड कराने में कोई स्टाम्प डयूटी नहीं लगती इसलिए स्टाम्प पर लिखने और नोटेरी से तस्दीक कराने का कोई औचित्य नहीं है। मृतक श्री जंगसिंह के प्रतिवादिया सं. 3 के अलावा 3 पुत्रियां है। वसीयत में जंगसिंह की ओर से अपनी तीन पुत्रियों, नैसर्गिक वारिसान को सम्पति से वंचित रखने को कोई स्पष्टीकरण नहीं है इस आधार पर भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 68 के अनुसार उक्त वसीयत संदेहास्पद है उक्त वसीयत दिनांक 17.04.1980 को तिथि में लिखी गई है उस समय वादगत भूमि गैर खातेदारी थी, गैर खातेदारी भूमि वसीयत कानूनन हो ही नही सकती। इस आधार पर भी उक्त दस्तावेज विधि विरूद्ध एवं आरम्भतय शून्य है। कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 17.04.1980 से प्रतिवादिया सं. 3 को कोई कनूनी अधिकार अर्जित नहीं हुआ ना ही भूमि में कोई हक हासिल हुआ। इस कारण प्रतिवादिया सं. 3 के नाम से जो प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने नुमाईशी बैयनामें बनाये है वह बिलाधिकार एव साजिशीपूर्ण होने से वादी के हितों पर अप्राभावी है। प्रतिवादिया सं. 3 को वादगत भूमि में कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हुआ है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई स्वत्व हक हासिल नहीं होते है। वादगत भूमि पर मुझ वादी का वर्ष 1972 से लगातार आज तक शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादगत भूमि की जिला कलक्टर महोदय द्वारा जारी सनद नं. 25656 है उक्त सनद भी राजस्व कर्मचारी द्वारा भूमि के काबिज व धारक मुझ वादी को ही दी गई है जिससें भी वादी की कब्जा काश्त साबित है। वादगत भूमि की अलांटमेंट की किश्ते भी वादी द्वारा अदा की गई है वादी द्वारा जरिये चालान नं. 969 दिनांक 25.05.1984 राशि 1668, चालान नं. 6649 दिनांक 27.12.1984 राशि 1658 एवं किश्त चूक की ब्याज राशि चालान संख्या 970 दिनांक 25.05.1984 राशि 213, चालान संख्या 8692 दिनांक 15.02.1985, उपरोक्त भूमि कमाण्ड होने पर सिंचाई विभाग यानि जल उपभोक्ता संगम सांवतसर में जरिये रसीद सं. 49 राशि 4550 वादी द्वारा जमा करवायी है तमाम असल दस्तावेज वादी के कब्जा में है इससे साबित है कि वादगत भूमि पर वादी का कब्जा विधिक एवं साधिकारपूर्ण है। सिंचाई विभाग द्वारा जरिये स्वीकृति सं. 15415 क्र.सं. 48 दिनांक 01.12.2011 को जो पानी की पर्ची वितरित की है वह भी भूमि के काश्तकार के नाते वादी को दी गई है। जो भी असल वादी के कब्जा में है जिससें भी वादी की कब्जा काश्त साबित है इस भूमि की फसल से वादी का परिवार जो कि कृषक पेशा है। उसका भरण–पोषण निर्भर करता है। इस आधार पर भी वादी भूमि की खातेदारी लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 1972 के पश्चात से आज तक कभी भी वादी से वादगत भूमि का कब्जा लेने की कोई विधिक कार्यवाही नहीं अपनाई है अतः धारा 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादीगण का राईट टू रिकवर पोजेशन का अधिकार समाप्त हो चुका है उपरोक्त आधारों पर वादी वादगत भूमि का खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है वादगत आराजी का हित राज्य सरकार में निहित हो चुका है इसलिए राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर [illegible] वादगत भूमि तहसील रायसिंहनगर के चक दूलरासर में स्थित होने के [illegible] श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है एवं दाव[illegible] दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी निम्न प्रकार [illegible] फरमाया जावे (क) तहसील रायसिंहनगर के चक दूलरासर बारानी की जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता सं. 189/163 के पं.नं. 270/315 के मु.नं. 57 के कि.नं. 3–8–13–18–23 [illegible]यक निस्फ व कि.नं. 1–2–9 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी

AnyScanner

12, 19 ता 22 प्रत्येक सालम तथा पं.नं. 271/315 के मु.नं. 58 का किन 3–8–13–18–23 प्रत्येक निस्फ व कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24–25 प्रत्येक सालम कुल 25 बीघा भूमि का वादी को खातेदार मालिक घोषित किया जाये। (ख) वादगत भूमि प्रतिवादिया सं. 3 ने जो मृतक श्री जंगसिंह के नाम से दिनांक 17.04.1980 की तिथि में कूटरचित वसीयत रचकर इन्तकाल सं. 659 दिनांक 22.05.2015 को अपने नाम से दर्ज करवाया है एवं तत्पश्चात प्रतिवादियां सं. 3 ने दिनांक 08.06.2015 को मु.नं. 57 की भूमि का बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में व मु.नं. 58 की भूमि का बैयनामा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में करवाया है और तत्पश्चात इन्तकाल संख्या 662 दिनांक 16.06.2015 को दर्ज हुआ है। उक्त तमाम दस्तावेज एवं सभी इन्तकाल वादी के हितों पर अप्रभावी घोषित किये गये। (ग) प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री दी जावे कि वादगत भूमि में वादी के कब्जा काश्त में कोई दखल अंदाजी नहीं करे तथा भूमि को अन्यत्र रहन बैय आदि किसी भी तरीके से किसी अन्य को मुन्तकिल करने से बाज व ममनु रहे। अन्य कोई अनुतोष जो वादी के पक्ष में हो दिलाया जाये।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 3 की तरफ से श्री राजाराम पुनियां अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 की तरफ से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह को चक दुलरासर बारानी के खाता नं 189/163 के पं.नं. 270/315 के मुरब्बा नं. 57 की 6.200 है. व पं.नं. 271/315 के मु. नं. 58 की 6.325 है. भूमि कुल 12.525 है. बारानी भूमि टी.सी. से पुख्ता आवंटन हुई है। इस भूमि की सारी किस्ते खजानाराज में जंगसिह द्वारा अदा करने पर उसके नाम से खातेदारी सनद जारी होकर खातेदारी इन्तकाल दर्ज हो गया। जंगसिंह की सेवा चाकरी प्रतिवादिया संख्या 3 जसविन्द्रकौर उर्फ छोटोकौर के द्वारा की गई थी इसलिए जंगसिंह ने अपनी पुत्री प्रतिवादिया संख्या 3 के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत विवादित भूमि की लिख कर नोटेरी वकील से तस्दीक करवा दी जंगसिंह का देहान्त हो जाने पर विवादित भूमि का इन्तकाल प्रतिवादिया संख्या 3 के पक्ष मे हो गया। प्रतिवादिया सं. 3 पंजाब में रहने लग गई। प्रतिवादिया सं. 3 ने उक्त विवादित भूमि का जरिये बैयनामा मुरब्बा नं. 57 मनदीपसिंह ने व मुरब्बा नं. 58 राजवीरसिंह ने बेचान कर दिया। जिसका इन्तकाल नं. 662 दिनांक 16.06.2015 को राजस्व कागजात में दर्ज हो चुका है। विवादित भूमि पर भगवानसिंह व हरीसिंह का कब्जा कभी नहीं रहा है। विवादित भूमि को पहले जंगसिंह द्वारा काश्त की गई उसके बाद मुझ उतरदाता द्वारा काश्त की गई थी और मेरे बेचान पर खरीददारान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा काश्त की जा रही है। हमारी भूमि को भगवान सिंह व हरीसिंह द्वारा बांटना बिलकुल गलत लिखा गया है उनको भूमि का बंटवारा करने का अधिकार नही है। भगवानसिंह व हरीसिंह द्वारा झूठा दावा कर भूमि हड़पना चाहते है। जंगसिंह को उक्त भूमि स्थाई आवंटन हुई है और जंगसिंह की मैने सेवा चाकरी की थी उस सेवा से खुश होकर विवादित भूमि की वसीयत विधि अनुसार मेरे पक्ष में जंगसिंह ने करवाई थी और उसके देहान्त हो जाने पर वसीयत के अनुसार विवादित भूमि का राजस्व कागजात में मेरे नाम अमल दरामद हो गई। वसीयत से वादी का कोई सरोकार नहीं है। वसीयत विधि अनुसार हुई है जंगसिंह के देहान्त हो जाने पर वसीयत के अनुसार श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा विधि अनुसार तमाम औपचारिकताए पूर्ण कर मेरे नाम से राजस्व कागजात में अमल दरामद किया है उसके उपरान्त मैने पूर्ण प्रतिफल राशि प्रतिवादीगण से लेकर प्रतिवादी नं. 1–2 के पक्ष में बैयनामा करवाया है। विवादित भूमि को जंगसिंह द्वारा समतल करवाई थी और [illegible] श्रम कर खर्चा लगाकर समतल कर काबिल काश्त बनाया है। वादी [illegible] काश्त में नहीं रही है। उक्त वाद पत्र में वादी को वाद [illegible] वाद–पत्र अन्दर मियाद है वादी किसी प्रकार का कोई [illegible] मुझ उतरदा[illegible]तिवादिया के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः [illegible] न्याय हित में वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वादी से प्रतिवादिया को जवाब देही का खर्चा दिलाया जावे। एवं प्रतिवादी सं. 1–2 की तरफ से अधिवक्ता ने जवाब [illegible] पेश कर निवेदन किया है कि जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह को चक दुलरासर बारानी के खाता नं. 189/163 के पं.नं. 270/315 के मुरब्बा नं. 57 की 6.200 है व पं.नं. 271/315 के मु.नं. 58 की 6.325 है. भूमि कुल 12.525 है. बारानी भूमि टी.रा. [illegible] मुरब्बा आवंटन हुई है। इस भूमि की सारी किश्ते खजानाराज में जंगसिंह द्वारा [illegible] करने पर उसके नाम से खातेदारी सनद जारी होकर खातेदारी इन्तकाल दर्ज हो गया। जंगसिंह की सेवा चाकरी प्रतिवादिया संख्या 3 के द्वारा की गई थी इसलिए जंगसिंह ने अपनी पुत्री प्रतिवादिया संख्या 3 के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत विवादित भूमि की लिख कर नोटरी वकील से तस्दीक करवा दी जंगसिंह का देहान्त हो जाने पर विवादित भूमि का इन्तकाल प्रतिवादिया संख्या 3 के पक्ष में होने पर उसने अपनी उक्त विवादित भूमि को जरिये बैयनामा मुरब्बा नं. 57 मनदीपसिंह ने व मुरब्बा नं. 58 राजवीरसिंह ने खरीद कर लिया। जिसका इन्तकाल नं. 662 दिनांक 16.06.2015 को राजस्व कागजात में दर्ज हो चुका है। इस भूमि का हमने भौतिक रूप कब्जा लेकर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में नहरी करवाने हेतु कार्यवाही की जिस पर श्रीमान् के न्यायालय के पत्र क्रमांक आवंटन/15/941 दिनांक 14.09 2015 के जरिये विवादित भूमि नहरी किये जाने का आदेश श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर को भेजा गया जिस पर अन्तराल राशि हमने जरिये चालान नं 423 दिनांक 29.09.2015 को 48,263 रूपया जाम करवा दिये जिस पर इन्तकाल नं 687 दिनांक 09.10.2015 को दर्ज कर किस्त परिर्वतन कर नहरी किया गया। और जल संसाधन द्वारा हमारे नाम पानी की पर्ची बनाकर कर हमें दे दी। जल उपभोगता संगम सांवतसर में उक्त विवादित भूमि की 1233 रूपया दिनांक 28.03.2016 को जमा करवाये। इस प्रकार विवादित भूमि वर्तमान में कब्जा काश्त हम उतरदाता प्रतिवादीगण की है। हमने फसल खरीफ काश्त कर रखी है। विवादित भूमि पर भगवानसिंह व हरीसिंह का कब्जा कभी नहीं रहा विवादित भूमि पहले जंगसिंह द्वारा काश्त की गई उसके बाद प्रतिवादिया सं. 3 के द्वारा काश्त की गई उसके बाद बैयनामा होने के बाद हम उतरदाता प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। हमारी भूमि को भगवान सिंह व हरीसिंह, कृपालसिंह व अजायबसिंह द्वारा बंटवारा कर बांटना बिलकुल गलत लिखा गया है। उनको हमारी भूमि का बंटवारा करने का क्या अधिकार है यह सब बाते गलत लिखी गई हैं। वसीयत दिनांक 17.04.1980 से वादी को कोई सरोकार नहीं है। वसीयत विधि अनुसार प्रतिवादिया संख्या 3 के पक्ष में करवाई गई है और जंगसिंह का देहान्त हो जाने पर विवादित भूमि का राजस्व कागजात में अमल दरामद होने पर हमने पूर्ण प्रतिफल राशि प्रतिवादिया नं. 3 को अदा कर जरिये बैयनामा खरीद की है। तब से लगातार हमारे कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। उक्त विवादित भूमि पर पूर्व में जंगसिंह का कब्जा काश्त था फिर प्रतिवादिया संख्या 3 के कब्जा काश्त में रही है उसके हमारे को बेचने पर बेचने की तारीख से हम उत्तरदाता प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है हमने भौतिक रूप से कब्जा लेकर विवादित भूमि की अन्तराल राशि जमा करवा कर किस्म परिर्वतन करवाया व पानी की पर्ची हमारे नाम से बन्धवाई व मामला भी हमने अदा किया है। विवादित भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जंगसिंह के प्रतिवादिया सं. 3 के अलावा तीन पुत्रीयां और है परन्तु जंगसिंह की सेवा चाकरी प्रतिवादिया स. 3 ने की थी और उसने अपनी हार्दिक इच्छा से ही प्रतिवादिया स. 3 के पक्ष में वसीयत विधि अनुसार की गई है। वसीयत बाकी हिस्सेदारान की सहमति से की गई है। वादी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वादी द्वारा कोई किस्त अदा नही [illegible] व प्रतिवादिया सं. 3 के द्वारा खजाना राज में जमा करवाई हैं। वादी [illegible] रूद्ध वाद पत्र हेतुक प्राप्त नहीं है ना ही वादी का वाद–प[illegible] हमारे पक्ष में हुआ बैयनामा कायम है तब तक यह दावा [illegible] न्यायालय में [illegible] योग्य नहीं है इसलिए यह दावा श्रीमान् के न्यायालय के श्रव[illegible] है। वादी किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

कोई अनुतोष हम उतरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जवाब दावा के अतिरिक्त कथन में अंकित है कि चक दुलरासर बारानी के मुरब्बा नं. 57 के 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि मनदीपसिंह पुत्र श्री जसपालसिंह प्रतिवादी ने जरिये बैयनामा परविन्द्रसिंह पुत्र श्री कृपालसिंह व अवनीतसिंह पुत्र श्री परविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस तहसील रायसिंहनगर को व मुरब्बा नं. 58 के 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजवीरसिंह प्रतिवादी ने रणदीपसिंह पुत्र श्री जसविन्दरसिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस को जरिये बैयनामा बेचान कर दी है इसलिए इस दावा में परविन्द्रसिंह, अवनीतसिंह व रणदीपसिंह आवश्यक पक्षकार है जिनको पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए दावा वादी का चलने योग्य नहीं है अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि न्यायहित में वादी का वाद–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वादी से प्रतिवादीगण को जवाब देही का खर्चा दिलाया जावे। दावा का जवाब दावा सरकार की तरफ से राजपेरोकार उप तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा दिनांक 17.10.2017 को पेश किया गया जिसमें अंकित किया है कि पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है इसलिए दावा खारिज योग्य है।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित कियेः–

(i) आया कि चक दुलरासर बारानी मु.नं. 57 पं.नं. 270/315 कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. व मु.नं. 58 पं.नं. 279/315 कुल 6.325 है. कुल 12.525 है. भूमि 1971 में जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस को आवंटित हुई थी। जिसकी सनद नं. 25656 है।
–:जिगंवादी

(ii) आया कि उक्त भूमि की वसीयत जंगसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निस्पादित की जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 659 दिनांक 22.05.2015 दर्ज है।
–:जिम्मेप्रतिवादी सं. 3

(iii) आया कि प्रतिवादी सं. 3 ने मु.नं. 57 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 व मु.नं. 58 प्रतिवादी सं. 2 का जरिये बैयनामा हस्तान्तरित की जिसकी नामान्तरण सं. 662 दिनांक 16.06.2015 दर्ज हुआ।
–:जिम्मे प्रतिवादी

(iv) आया कि मु.नं. 57 के कि.नं. 3–8–13–18–23 व 1–2–9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक सालम–सालम, मु.नं. 58 के कि.नं. 3–8–13–18–23 व 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 सालम–सालम कुल 25 बीघा भूमि पर 1972 से प्रतिकूल कब्जा है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।
–:जिम्मेवादी

(v) आया कि वादग्रस्त भूमि की समस्त किस्ते द्वारा चालान नं. 969 दिनांक 25.05.1984 राशि 1668, चालान नं. 6649 दिनांक 27.12.1984 राशि 1658, चालान संख्या 970 दिनांक 25.05.1984 राशि 213, चालान संख्या 8692 दिनांक 15.02.1985, सिंचाई विभाग की रसीद सं. 49 राशि 4550 वादी द्वारा जमा करवायी है जिससे वादी का कब्जा विधिक है।
–:जिम्मेवादी

(vi) आया कि वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उसके कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे।
–:जिम्मेवादी

(vii) आया कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादी व वादी के पिता हरिसिंह व दादा भगवानसिंह का कभी नहीं रहा। पहले कब्जा जंगसिंह का था फिर प्रतिवादिया सं. 3 व बाद में खरीदारान 1 व 2 के पास रहा है।
–:जिम्मे प्रतिवादीगण

(viii) आया कि वादग्रस्त भूमि की वसी[illegible] 17.04.1980 को मेरे पिता द्वारा मेरी सेवा चाकरी से खुश होकर प्रतिवादि[illegible] सं. 3 [illegible] पक्ष में निस्पादित की थी।
–:जिम्मेप्रतिवादी संख्या 3

(ix) अन्य अनुतोषः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

4. वादीगण की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में अवतारसिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति जटसिख ने दिनांक 28.01.2025 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया व जमाबंदी संवत 2068 प्रदर्श–1, प्रार्थना पत्र उपतहसीलदार समेजा की फर्दकाम प्रदर्श–2, प्रार्थना पत्र उपतहसीलदार प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–4 है जो जंगसिंह का है उपतहसीलदार समेजा का निर्णय बाबत वसीयत प्रदर्श–5 है हलफनामा गुरमेलसिंह प्रदर्श–6 है, हलफनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–7 है, प्रार्थना पत्र वसीयत [illegible] द्वारा नामान्तरण दर्ज कराने बाबत् प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्श–8 है श्रीमान [illegible] श्रीगंगानगर के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–9 है जमाबंदी संवत 2068–2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–10 है, जमाबंदी संवत 2068 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–11 है रसीद नामे प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–12 है। बैयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–13 है व प्रदर्श–14 है, नोटिस असल उपजिलाधीश रायसिंहनगर प्रदर्श–15 है, सनद खातेदारी असल प्रदर्श–16 है किश्त जमीन की रसीद प्रदर्श–17 है, किश्त जमीन की रसीद प्रदर्श–18 है, जल उपयोक्ता संगम सावंतसर आबयाना रसीद प्रदर्श–19 है, पट्टा फीस रसीद प्रदर्श–20 है, सूद(ब्याज) किश्त जमीन प्रदर्श–21 है, बाराबंदी पर्ची प्रदर्श–22 है, रजिस्टर इंतजाम व वसूली लगान प्रदर्श–23 है, उक्त विवादित भूमि जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह को चक दुलरासर बारानी के खाता नं. 189/163 के पं.नं. 270/315 के मुरब्बा नं. 57 की 6.200 है. व पं.नं. 271/315 के मु. नं. 58 की 6.325 है. भूमि कुल 12.525 है. बारानी भूमि टी.सी. से पुख्ता आवंटन हुई है। यह बात सही है कि उक्त जमीन की सनद जंगसिंह पुत्र निक्कासिंह के नाम जारी हुई है। जंगसिंह द्वारा अपनी पुत्री जसविन्द्र कौर के हक में की गई वसीयत को निरस्त करवाने का दावा सिविल न्यायालय में किया हो। इस मुकदमे में मेरे स्थगन का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया था जिसमें मेरे आरएए श्रीगंगानगर के यहां अपील करने पर विवादित भूमि को बैचान करने पर पाबंद किया है जिसकी आगे अपील अजमेर में की हुई है जो अपील मनदीपसिंह द्वारा की गयी है वो विचाराधीन है मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–15 से लेकर 22 तक मैने सद्भावपूर्वक लेकर इसका दुरूपयोग करते हुए इस दावे में पेश किए हो। यह बात सही है कि इस दावे खरीददार परविन्द्र सिंह, अवनीतसिंह, रणदीपसिंह पक्षकार नहीं बनाया है यह कहना गलत है कि मु.नं. 57 व 58 पर मेरे व मेरे परिवार का कोई कब्जा न हो बल्कि खरीददारान का हो और मैंने लालचवश भूमि हड़प करने के लिए दावा पेश किया है। रणजीतसिंह पुत्र श्री अवतारसिंह ने शपथ पत्र व जिरह में कथन किया है कि जंगसिंह की मृत्यु के बाद चक लाधुवास तहसील रतिया की भूमि का उसके सभी वारिसों के नाम विरासतन इंतकाल की नकल प्रदर्श–24 है जिसकी नकल पत्रावली पर प्रदर्श–24(ए) है प्रमाणित प्रतिलिपि बैयनामा जिसमे जंगसिंह ने कृषि भूमि खरीदी है उसमें जंगसिंह की अंगूठा निशानी लगी है जो प्रदर्श–25 है पत्रावली नकल प्रदर्श–25 (ए) है जंगसिंह के नाम की वोटरलिस्ट की फोटों प्रति पेश की है। जिसमें जंगसिंह पुत्र निक्कासिंह साकिन लाधुवास, तहसील रतिया जिला फतेहाबाद(हरियाणा) का निवासी है दर्ज है। चक दुलरासर बारानी के मु.नं. 57 व 58 की जमीन जंगसिंह के नाम आवंटन हुई थी और उसकी खातेदारी भी जारी हो चुकी है अजखुद कहा कि असल दस्तावेज हमारे पास ही है यह बात सही है कि जंगसिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की वसीयत अपनी पुत्री जसविन्द्र कौर उर्फ छोटी कौर के हक में करवाई, उस वसीयत का इंतकाल तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश द्वारा जसविन्द्र कौर उर्फ छोटी कौर के नाम से हो चुका है।

5. प्रतिवादीगण की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में मनदीपसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति जाट साकिन वार्ड नं. [illegible] दिनांक 17.04.2025 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। अनुक्रम मे अन्त[illegible] कराने का चालान प्रदर्श–ए(1) है, कार्यालय उपखण्ड अधि[illegible] आदेश गय तहसीलदार रिपोर्ट प्रदर्श–ए(2) है पत्राव[illegible]नकल ए–(2)[illegible]। पानी की पर्चिया क्रमशः प्रदर्श ए–3, ए–4, ए–5, ए–6, त[illegible] प्रदर्श–ए–3(ए) से प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

ए–6(ए) है सिंचाई विभाग के मामला की पर्ची प्रदर्श ए–7(ए) से ए–12 है जिनकी नकल पत्रावली पर प्रदर्श ए–7(ए) से ए–(12)ए है, इंतकाल सं. 719 की प्रमाणित प्रदर्श ए–13 है, जिरह में कथन है कि पूर्व में यह जमीन गैरखातेदारी हो यह मुझे ध्यान नहीं है। सनद देख कर कहा कि दिनांक 31.01.1985 को सनद जारी की गई। वसीयतनामा दिनांक 17.04.1980 को लिखा हुआ है। यह कहना गलत है कि जसविन्द्रकौर को जमीन बेचने का अधिकार न हो और हमारे बैयनामे कानूनन बिना अधिकार प्राप्त नहीं हुआ हो। उक्त भूमि पर कब्जा हमारा है यह कहना गलत है कि इस भूमि पर हमारा कोई कब्जा न हो और भूमि के हकदार वादीगण हो।

6. वादी की तरफ से दिनांक 12.03.2025 को प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 14(3) व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। जो दिनांक 25.03.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दंस्तावेज को रिकार्ड पर लेने की अनुमति दी गई। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आ. 8 नि. 1(3) व 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 01.05.2025 को प्रा. पत्र आ. 18 नि. 17 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। वादी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में दिनांक 15.05.2025 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये। प्रार्थना पत्र आ. 8 नि.1 (3) व धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया गया।

7. वाद पत्र के संदर्भ में वादी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जिसमें अंकित किया कि तहसील रायसिंहनगर के चक दुलरासर बारानी की जमांबदी संवत 2068–71 के खाता सं. 189/163 पं.नं. 270/315 के मु.नं. 57 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक 0.228 है, 6 ता 25 सालम कुल 6.200 है. एवं पं.नं. 271/315 के मु.नं. 58 की 6.325 है. कुल 12.525 है. बारानी भूमि, जमाबंदी के कालम संख्या 4 में जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। तत्पश्चात इसी जमाबंदी के कालम संख्या 11 ता 12 में उक्त भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 657 दिनांक 17.04.2015 को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त भूमि जंगसिंह को टी.सी. आवंटन होने पर समस्त किश्ते जमा होने के उपरान्त सनद खातेदारी जंगसिंह के नाम जारी हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा विरचित तनकीयात के संदर्भ में तनकी संख्या 2 में कानूनी स्थिति एवं न्यायिक निम्न नजीर पेश है **A.I.R. 2009(Supreme Court) 951-K.Laxmanan v/s Thekkayil Padmini, Sec 63 Indian Succession Act. 1925, Sec68 Indian Succession Act. 1925, 2010 (5)(Supreme Court Case) 274- S.R. Srinivasa & Ors v/s Padma Vathama, 1995(2) D.N.J. page 426 (Rajasthan High Court), 1998 D.N.J. page 150 (Supreme Court), 1995 D.N.J. page 367 (Rajasthan High Court), 1998 D.N.J. page 518 (Rajasthan High Court), 1997 (1) R.L.R. 31 (Rajasthan High Court), 1999(2) D.N.J. page 759 (Rajasthan High Court), 2011(3)D.N.J.1087 (Rajasthan High Court)** तनकी संख्या 4 के संबंध में न्यायिक नजीरे निम्न प्रकार पेश की है **2012 D.N.J. 272 (Supreme Court), 2013(4) D.N.J. 948 (Supreme Court), 2002(1) R.R.T. 429 (Supreme Court), 2003(2) R.R.T. 881(Supreme Court), 2003(2) R.R.T. 881 (Supreme Court) 2024(3) C.C.C. (Supreme Court)001, 2024(2)(P&H High Court) RCR192, 1991(1) R.L.R. 601 (Raj High Court)** तनकी संख्या 6 के संबंध में न्यायिक नजीरे निम्न प्रकार पेश की हैं **2024(1) C.C.C. 0099 (Supreme Court of India) Specific Relief Act 1963, Section 38- Suit for permanent injunction- Plea of adverse possession and title- Defendant admitted the ownership of father of plaintiff -Plaintiff became one of co- owners along with his brothers after demise of his father - Deed of partition pleaded by defendant not proved- Two alternative pleas of adverse possession and title was sough by defendants which is not allowed- Plaintiff established that [illegible] property on the date of institution of suit.(Paras 13&14)** उक्त [illegible] पत्रावली पर पेश दस्तावेज के अनुसार वसीयत व बैयनामा [illegible] प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे [illegible] के अधिवक्ता [illegible] लिखित बहस का जवाब लिखित बहस में पेश कर कथन [illegible] वाद पत्र श्रीमान् के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

न्यायालय में पेश किया कि चक दुलररासर बारानी के पं.नं. 270/315 मु.नं. 57 के 6.200है. पं.नं. 271/315 के मुरब्बा नं. 58 के 6.325 है. कुल 12.525 है. बारानी भूमि जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह को आवंटन हुई। आवंटन होने के बाद इस भूमि को छोड़कर चला गया। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा प्रतिकूल होने पर खातेदार घोषित किया जावे। वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार अधिकार प्राप्त करना चाहता है परन्तु वादी राजस्व रिकार्ड के आधार पर किसी प्रकार से खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है क्योकि विवादित भूमि जंगसिंह को आवंटन होना व इस भूमि की वसीयत प्रतिवादिया सं. 3 के पक्ष मे करवाना व वसीयत के अनुसार विधि अनुसार तमाम औपचारिक्ता पूर्ण कर प्रतिवादिया सं. 3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद होने के उपरान्त उसने अपने विधिक अधिकारों का उपयोग कर प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में विधि अनुसार बैयनामा उप पंजीयक के कार्यालय से पंजीकृत करवाया है। बैयनामा के आधार पर राजस्व कागजात में अमलदरामद होने पर प्रतिवादी सं 1 व 2 खातेदार बन गये हैं। इस वसीयत का आज तक किसी भी पक्षकारान ने एतराज पेश नहीं किया है। जब तक वसीयत कायम है राजस्व न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं हैं। वादी ने साक्ष्य दस्तावजों में कब्जा से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है समस्त दस्तावेज राजस्व रिकार्ड से संबंधित है विवादित भूमि वादी का कब्जा रहा हो अगर कब्जा होता तो वह जरूर अड़ोसी--पड़ोसी चारों ओर के काश्तकारान को न्यायालय में पेश करता जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता कि कब्जा किसका किस रोज से किस हैसियत से रहा है, परन्तु यह साक्ष्य पेश करने मे वादी असफल रहा है इसलिए वह प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं करने की सूरत मे दावा वादी खारिज करने योग्य है। प्रतिवादीगण के पक्ष में रजिट्रस्ड दस्तावेज बैयनामा है इस प्रकार खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार कोई अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी ने जो लिखित बहस में दृष्टान्त पेश किये है जिनका अनवाद सदर के दावा से भिन्न तथ्य है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस वाद पत्र पर लागू नहीं होते है। प्रतिवादी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है जो इस दावा से प्रतिवादी के साक्ष्य के अनुसार मेल खाते है। आर.एल. डब्ल्यू. 2018(1) पेज 685 एच. सी., आर.एल. डब्ल्यू. 2017(2) पेज 1347, आर.एल. डब्ल्यू. 2024(1) पेज 220 एसी.सी., आर. जे. आर. 2024 पेज 642। अतः लिखित बहस प्रतिवादीगण की ओर से पेश करके अर्ज है कि न्यायहित में वादी का वाद–पत्र खारिज फरमाया जावे।

8. हमने उभयपक्षकारन की लिखित बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या (i) आया कि चक दुलरासर बारानी मु.नं. 57 पं.नं. 270/315 किला नं. 1 ता 25 कुल 6.200 है. व मु.नं. 58 पं.नं. 279/315 कुल 6.325 है. कुल 12.525 है. भूमि 1971 में जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस को आवंटित हुई थी। जिसकी सनद नं. 25656 है। –:जिम्मेवादी

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार मु.नं. 57 प.नं. 270/315 की 6.200 है. व प.नं. 271/315 मु.नं. 58 की 6.325 है. कुल 12.525 है. भूमि जंगसिंह पुत्र निक्कासिंह जाति जटसिख को आवंटित है। जिसकी सनद संख्या 25656 दिनांक 31.01.1985 जंगसिंह पुत्र निक्कासिंह को जारी की गई है। जिसके दस्तावेज वादी द्वारा पेश किये गये है परन्तु समस्त दस्तावेज जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह जाति जटसिख के नाम से है व सनद भी जंगसिंह के नाम से है वादी के [illegible] विवादित भूमि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर कब्जा काश्त [illegible] भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जा सके। प्रतिवादिया सं. 3 [illegible] की संतान है उसके द्वारा विवादित भूमि जरिये वसीयत प्राप्त होने के [illegible] रजिस्टर्ड बैयनामों से प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 व 2 को बेचान कर दी है इस प्रकार यह तनकी वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि उक्त भूमि की वसीयत जंगसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निस्पादित की जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 659 दिनांक 22.05.2015 दर्ज है।
–:जिम्मेप्रतिवादी सं. 3

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 3 पर थी। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व वसीयतनामा पेश किया गया। जो प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में निस्पादित किया हुआ है तथा नोटेरी पब्लिक श्री गंगानगर द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। उक्त वसीयत दिनांक 17.04.1980 को निस्पादित की गई है यह वसीयत जंगसिंह पुत्र निक्कासिंह द्वारा अपनी पुत्री जसविन्द्रकौर उर्फ छोटो कौर के पक्ष में निस्पादित की गई है। जंगसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयत का नामान्तरण संख्या 659 दिनांक 22.5.2015 को दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ था। इस तनकी के विरोध में वादीगण का तर्क है कि तनकी के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है तथा वसीयत के किसी लेखक को भी पेश नहीं किया है। इस वसीयत में जंगसिह के अन्य प्राकृतिक वारिसान को सम्पति से वंचित क्यों रखा गया इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है रिकार्ड के अवलोकन से यह साबित है कि जंगसिंह द्वारा वसीयत अपनी पुत्री के पक्ष में निस्पादित की है। अन्य वारिसान द्वारा किसी प्रकार का विरोध या आपत्ति वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने के समय नही की गई है न ही दावे में पक्षकार बने है अतः वसीयत के आधार पर नामान्तरण सं. 659 दिनांक 22.05.215 दर्ज रिकार्ड हो चुका है। वसीयत के समय गवाह गुरमेलसिंह पुत्र गुरूबक्शासिंह साकिन फरीदके का हल्फनामा लगा है। हल्फनामा के अनुसार जंगसिंह द्वारा वसीयत उसके सामने की थी। अतः इस तनकी को सिद्व करने में प्रतिवादिया सं. 3 सफल रहे है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 3 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि प्रतिवादी सं. 3 ने मु.नं. 57 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 व मु.नं. 58 प्रतिवादी सं. 2 का जरिये बैयनामा हस्तान्तरित की जिसकी नामान्तरण सं. 662 दिनांक 16.06.2015 दर्ज हुआ।
–:जिम्मे प्रतिवादी

उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा बैयनामा प्रस्तुत किये गये। वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पिता जंगसिंह को टी.सी से पुख्ता आवंटन हुई थी। जंगसिंह ने सेवा चाकरी से खुश होकर मेरे पक्ष में वसीयत निस्पादित की थी। वसीयत के नामान्तरण दर्ज होने के पश्चात मैने एक बैयनामा जो जसविन्द्रकौर उर्फ छोटोकौर पत्नी गुरमेलसिंह जाति जटसिख द्वारा मु.नं. 57 तादादी 6.200 है. मनदीपसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति जटसिख आयु 27 वर्ष निवासी वार्ड नं. 4 के पक्ष में दिनांक 08.06.2015 को निस्पादित किया गया है तथा दूसरा बैयनामा जसविन्दकौर उर्फ छोटोकौर पत्नी गुरमेलसिंह द्वारा राजवीरसिंह पुत्र छिन्द्रपालसिंह जाति जटसिख साकिन 24 आरडी के पक्ष में मु.नं. 58 कुल 6.325 है. भूमि दिनांक 08.06.2015 को निस्पादित किया गया है जिसका नामान्तरण संख्या 662 दिनांक 16.06.2015 दर्ज किया गया है। इस तनकी के विरोध में वादी द्वारा अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जंगसिंह को आवंटित करवाने में वादी के दादा भगवानसिंह ने सहयोग किया तथा आवंटन की किस्ते हमने अदा की थी। भूमि पर 1972 से वादी के दादा भगवानसिंह व पिता हरीसिंह व दादी का कब्जा रहा है। जंगसिंह द्वारा प्रतिवादी सं. 3 [illegible] है वह गंगानगर में जाकर नोट्रेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित करवायी [illegible] त कूटरचित है। वसीयत में शेष प्राकृतिक वारिसान को [illegible] कोई कारण नहीं देने से वसीयत को शून्य माना जावे। [illegible] अवलोकन [illegible] स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में जंगसिंह द्वारा [illegible] को किसी न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

चुनौती नहीं दी गई है। जंगसिंह के अन्य वारिसों द्वारा इस वसीयत के बारे में आपत्ति दर्ज नहीं करवायी है तथा दावे में पक्षकार भी नहीं बने है। प्रतिवादी सं द्वारा मु.नं. 57 की 6.200 है.भूमि मनदीपसिंह पुत्र जसपालसिंह के पक्ष में दिनांक 3 06.2015 को एक बेयनामा निस्पादित करवाया है तथा दूसरा बेयनामा मु.नं. 58 की कुल 6.325 है. राजवीरसिंह पुत्र छिन्दपालसिंह के पक्ष में निस्पादित करवाया है। जिनका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका हैं अतः इस तनकी को सिद्ध करने में प्रतिवादीगण सफल रहे है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (iv) आया कि मु.नं. 57 के कि.नं. 3–8–13–18–23 व 1-2-9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक सालम–सालम, मु.नं. 58 के कि.नं. 3–8–13–18–23 व 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 सालम–सालम कुल 25 बीघा भूमि पर 1972 से प्रतिकूल कब्जा है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

—:जिम्मेवादी

उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1972 से वादी पक्ष का कब्जा चला आ रहा है। वादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि के सभी मूल दस्तावेज असल सन्द किस्ते जमा की रसीदे पट्टा रसीद आदि दस्तावेज पेश किये गये। तथा इसके समर्थन में 2012 डीएनजे 272, सुप्रीम कोर्ट, 2013(4) डीएनजे 943 सुप्रीम कोर्ट 2002 आरअरटी 429 सुप्रीम कोर्ट, 2003 आरआरटी 881 सुप्रीम कोर्ट, 2024 लाईवलॉ सुप्रीम कोर्ट, 2024 (2) सीपीएसएच आदि नजीरे पेश की गई। वादी पक्ष का 1972 से प्रतिकूल कब्जा है तथा वर्ष 1995 से होस्टाईटल प्रतिकूल कब्जा स्थापित हो चुका है अतः वादगत भूमि पर वादी का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित प्रतिउत्तर मे कथन किया कि वादी स्वयं अवतारसिंह पी.डब्ल्यू 1 व अपना लडका पी.डब्ल्यू 2 रणजीतसिंह को पेश किया गया। इनके साक्ष्य में यह कही भी नहीं आया है कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा होने का इल्म ज्ञान होने पर इन्होने कब्जा छुड़ाने के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी पंचायत में कोशिश की हो और वादी ने मुखालफन कब्जा कर रखा हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मुखालफाना कब्जा को प्रतिकूल घोषित कर खातेदार बनने का कोई प्रावधान नहीं हैं। इनके समथर्न मे विभिन्न दृष्टान्त पेश किये गये **RLW** 2018(1) 685 **HC** सिपाराम मीना बनाम ग्राम पंचायत रानोली तहसील सिकराय, **RLW** 2017 (2 **Rev** **1347 HC** छित्तरसिंह व अन्य बनाम भंवरी देवी व अन्य प्रतिकूल कब्जे पर आधारित दावे हेतु वाद संधारित नहीं किया जा सकता। कब्जा हासिल करने हेतु वाद में प्रतिकूल कब्जे के अभिवाद को प्रतिरक्षा होना माना जाता है लेकिन स्वामी के रूप में घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अतिक्रमी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत एक अभिधारी/ सह अभिदारी/ उप अभिदारी/खुद काश्त अभिधारी ही निधारित शर्तों के अध्यधीन रहता हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उक्त विवेचना के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित नहीं है। इस तनकी को सिद्व करने में वादी असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (v) आया कि वादग्रस्त भूमि की समस्त किस्ते द्वारा चालान नं. 969 **दिनांक 25.05.1984 राशि** 1668, चालान नं. 6849 दिनांक 27.12.1984 राशि 1658, **चालान संख्या 970 दिनांक 25.05.1984 रा**शि ..., चालान संख्या 8692 दिनांक 15. **02.1985, सिंचाई विभाग** की रसीद सं. 40... वादी द्वारा जमा करवायी है **जिसससे वादी का कब्जा विधिक है।**

—:जिम्मेवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार जिम्मेवादी पर था। वादी द्वारा लिखित बहस में कथन किया कि तनकी सं. 5 में चालान नं. व राशि जमा करवाने का उल्लेख है उक्त राशि वादी द्वारा जमा करवायी थी जो प्रदर्श–17, प्रदर्श–18, प्रदर्श–19 प्रदर्श–21, प्रदर्श–16, प्रदर्श–22, प्रदर्श– 23 है अतः उक्त तनकी वादी द्वारा साबित की है जो वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना न्यायोचित हैं। इसके विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन किया कि वादी द्वारा इस तनकी को साबित करने के लिए दस्तावेज चालान रसीद सिंचाई विभाग की रसीदे पेश की है वो वादी अथवा वादी के पिता के नाम से नहीं है बल्कि प्रतिवादिया के पिता जंगसिंह के नाम से है इसलिए वादी इस तनकी को साबित नहीं कर पाये है। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। चालान सं. 966 दिनांक 25.05.1984 राशि 1668रूपये, चालान 6649 दिनांक 27.12.1984 राशि 1658 रूपये, जल उपभोक्ता संगम सांवतसर को रसीद सं. 49 राशि 4550 रूपये, पट्टा फीस रू 25 दिनांक 15.02.1985 चालान संख्या 970 दिनांक 25.05.1984 राशि 213 रूपये सभी जंगसिंह पुत्र श्री निक्कासिंह के नाम से है। इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त राशि वादीगण द्वारा जमा करवायी है। अतः इस तनकी को सिद्व करने में वादीगण असफल रहे हैं। यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (vi) आया कि वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उसके कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे। –:जिम्मेवादी

उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार जिम्मे वादी पर था। वादीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि आवंटन की तमाम किश्ते वादी द्वारा भरी गई थी। जगसिंह के नाम से आवंटित भूमि के वास्तविक स्वत्वधारी वादी पक्ष ही है जंगसिंह द्वारा गांव छोड़कर जाने के पश्चात वर्ष 1972 से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण वादगत भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके प्रतिउत्तर में प्रतिवादीगण का कथन है कि तनकी संख्या 1 ता 5 वादी द्वारा अपने पक्ष में साबित नहीं की है। इसलिए वादगत भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा वादी किसी प्रकार से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि जंगसिंह पुत्र निक्कासिंह को आवंटित हुई थी उन्ही के नाम से समस्त राशि जमा करवाने की रसीद/चालान है। सनद भी जंगसिंह के नाम से ही जारी हुई है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या (vii) आया कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादी व वादी के पिता हरिसिंह व दादा भगवानसिंह का कभी नहीं रहा। पहले कब्जा जंगसिंह का था फिर प्रतिवादिया सं. 3 व बाद में खरीदारान 1 व 2 के पास रहा है।–:जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार जिम्मे प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व लिखित बहस पेश की गई। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं भी पेश किया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 13 प्रदर्शित करवाये। विवादित भूमि जरिये बैयनामा खरीदने के बाद प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि की किस्म परिर्वतन करवायी। अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व कागजात में नहरी भूमि दर्ज होने के बाद अध्यक्ष उपभोक्ता संगम से पानी की पर्ची जारी करवाकर भूमि में सुधार किया। खरीदने के दिन से लगातार कब्जा प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। वादी का कब्जा [illegible] प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटी एक्ट न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। [illegible] राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी अपील खारिज कर दी [illegible] हमारे नाम से राजस्व रिकार्ड में है। फसल भी काश्त की गई है। इसके प्रत्युत्तर में वादीगण लिखित बहस में कथन किया है कि मौके पर वर्ष 1972 से लेकर आज तक कब्जा वादी के पास है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रतिवादी सं. 3 अथवा जंगसिंह का कोई भी वारिस न्यायालय में साक्ष्य के रूप में परिक्षित नहीं हुआ है तथा बैयनामे मात्र नुमाईशी है जिनके द्वारा रूपयों का लेनदेन नहीं हुआ है। अंतरराशि जमा करवाने की रसीद पेश की है वह मात्र जवाब दावा का आधार बनाने हेतु पेश किया है। रिकार्ड अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जंगसिंह पुत्र निक्कासिंह को आवंटित हुई थी। भूमि की सनद भी जंगसिंह के नाम से जारी की गई है। जंगसिंह द्वारा एक वसीयत प्रतिवादिया सं. 3 के पक्ष में निस्पादित की जो उसकी पुत्री है। वसीयत के आधार पर भूमि का नामान्तरण प्रतिवादिया सं. 3 के पक्ष में हुआ। प्रतिवादिया द्वारा भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विक्रय की है। राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में भूमि बैयनामे के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है। वादगत भूमि की किस्म अंतरराशि जमा करवाकर प्रतिवादीगण द्वारा करवायी गई हैं। वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जा चुका है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी वादीगण की अपील खारिज की जा चुकी है। अतः इस तनकी को सिद्ध करने में प्रतिवादीगण सफल रहे है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (viii) आया कि वादग्रस्त भूमि की वसीयत दिनांक 17.04.1980 को मेरे पिता द्वारा मेरी सेवा चाकरी से खुश होकर प्रतिवादिया सं. 3 के पक्ष में निस्पादित की थी। —:जिम्मेप्रतिवादी संख्या– 3

उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3 पर था। यह तनकी डीडब्ल्यू–1 की साक्ष्य से दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। इस तनकी से वादी को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होता। जंगसिंह द्वारा वसीयत अपनी पुत्री प्रतिवादिया सं. 3 के पक्ष में निस्पादित की है। गवाह द्वारा शपथ पत्र पेश किया है कि जंगसिंह द्वारा मेरे समक्ष उक्त वसीयत निस्पादित की थी। वादीगण का कहना है कि यह वसीयत रायसिंहनगर की बजाय गंगानगर में जाकर नोट्रेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित करवायी है। नोटेरी के हस्ताक्षर भी फर्जी है। इसलिए यह वसीयत अवैध समझी जावे। लेकिन वादीगण द्वारा उक्त वसीयत को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। जंगसिंह के अन्य वारिसों द्वारा भी इस वसीयत पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा विधिवत सुनवाई के उपरान्त वसीयत का नामान्तरण प्रतिवादिया सं. 3 के पक्ष में किया है। इस तनकी को सिद्व करने में प्रतिवादी सं.3 सफल रहे है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी सं. 3 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (ix)अनुतोष

तनकी संख्या 1 ता 8 बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी निर्णीत की जा चुकी है अतः प्रतिवादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88–92ए–188 आर.टी. एक्ट भली–भांति साबित नही होने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 43 / 2016
जीसीएमएस : 2016 / 00657

1. अवतार सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—: वादी

बनाम

1. मनदीप सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 4 रायसिंहनगर।
2. राजवीर सिंह पुत्र श्री छिन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख साकिन 24 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
3. जसविन्द्र कौर उर्फ छोटों कौर पत्नी गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन पिण्ड फरीदके तह. बुडलाडा जिला मानसा (पंजाब)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए–188–91 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक : 26.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरूबरू हमारे ब हाजरी श्री मदन लाल बंसल अधिवक्ता वादी व श्री राजाराम पूनियां अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:— वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88–92ए–188–91 आर.टी.एक्ट अधि. भली–भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 26.08.2025 को जारी की गई।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner